CMAR
City Managers' Association, Rajasthan

# CMAR NEWSLETTER

Quarterly News Letter by
City Managers' Association, Rajasthan

Issue-XI
March, 2010

Promoting Excellence in City Management...

**Who is a City Manager?**

A City Manager is defined as a person in any urban local body, urban development authority, institution involved in research, training for urban managment an NGO or a corporate in urban sector.

## अन्दर पढ़िए....


- प्रदूषण कम, रोशनी ज्यादा – एनर्जी बचत भीः अजमेर
- सुदृढ़ शहरी निकायः गुणवत्तायुक्त शहरी जीवन का आधार
- भू–जल पुर्नभरण के प्रयासों में एक शहर – भीलवाड़ा
- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में विद्युत बचत की पहल – कोटा नगर निगम
- Accrual Based Double Entry Accounting System in Jaipur Municipal Corporation
- Central Secretariat Service Officer's (CSS) visit to Jaipur
- गुजरात नगरपालिका सेवा के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का राजस्थान में शैक्षणिक भ्रमण
- शहरी विकास की ओर सरकार का ऐतिहासिक कदम
- Jaipur City Consultation on UN HABITAT State of the World's Cities Report 2010-2011
- Promoting Capacity Building : living up to the Commitment
- Workshop on strengthening City Managers' Association in India at Ahmedabad
- Conference on the Globalizing State, Public Services and the New Governance of Urban Local Communities in India at IIM - Ahmedabad
- The 15th Executive Committee Meeting of CMAR
- प्रशासन शहरों के संग अभियान–2010
- राजस्थान के प्रथम श्रेणी के सात शहरों का सेनिटेशन सर्वे किया सी. एम.ए.आर. ने
- Photo Features


## संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सिटी मैनेजर्स ऐसोसिएशन राजस्थान द्वारा ग्यारहवीं गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 'प्रशासन शहरों के संग अभियान–2010' के अन्तर्गत स्थानीय निकायों व विभिन्न विभागों द्वारा अनेकों कार्य जन आकांक्षाओं के अनुरूप किये है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष स्थानीय निकायों के आर्थिक उन्नयन के लिये काफी काम सम्पादित किये गये है व स्वायत्तता के लिये अनेकों कदम उठाये गये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय निकाय जब आर्थिक रूप से सक्षम होगीं, तभी वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकेंगे।

संस्था द्वारा निकायों के विकास हेतु सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आलेखन, न्यूज लेटर का प्रकाशन व निकायों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शहरी विकास के लिए एक सराहनीय प्रयास है। न्यूज लेटर के प्रकाशन की सफलता की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

**शान्ति धारीवाल**
मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय
विकास एवं आवासन विभाग,राजस्थान सरकार

## सम्पादकीय...

सिटी मैनेजर्स ऐसोसिएशन राजस्थान द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका का ग्यारहवां अंक प्रकाशित हो रहा है। यह अंक निश्चित रूप से आपके स्थानीय निकाय क्षेत्र में किये गये कार्यो का दर्पण है। 'सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान' शहरी निकायों के लिए तकनीकी सलाहकार का कार्य वर्ष 2002 से कर रही है। इस संस्था के सक्रिय सहयोग के लिए निकायों को अपनी तकनीकी समस्याओं से इन्हें अवगत कराना चाहिए, ताकि यह आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके।

संस्था के माध्यम से सर्वोत्तम प्रक्रियाओं (Best Practices) का सकंलन व प्रकाशन भी किया जाता है। इसलिए मैं समस्त निकायों से अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने निकाय में होने वाली समस्त सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की जानकारी ऐसोसिएशन को भिजवाये ताकि वर्ष में एक बार उत्तम प्रक्रियाओं का संकलन पुस्तक के रूप में किया जा सके। जिसका लाभ निकाय परस्पर उठा सकें।

इस क्रम में गृह पत्रिका के इस अंक में कोटा व अजमेर नगर निगम द्वारा सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिये किये गये कार्यो का समावेश किया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा नगर परिषद् द्वारा वर्षा जल के पुर्नभरण के लिये की गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को भी समाहित किया गया है।

**जोगाराम**
कार्यकारी अध्यक्ष

Registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958,
Reg No. 569/Jaipur/2002-03, Dt. 24/08/2002

# Office Bearers of CMAR

## Chief Patron

**Shanti Dhariwal**
Hon'ble Minister
LSG & UDH Department
Government of Rajasthan

## Patrons

**G. S. Sandhu,** IAS
Principal Secretary
LSG & UDH Department
Government of Rajasthan

**Dr. R. Venkateswaran,** IAS
Secretary
Local Self Government,
Government of Rajasthan

**Sudhanshu Pant,** IAS
Commissioner
Jaipur Development Authority
Jaipur

# Executive Committee of CMAR

## President

**R.P. Jain**, IAS
Chief Executive Officer
Jaipur Municipal Corporation
Jaipur
Contact No. 0141-5113777
E-mail: ceo.jaipurmc@gmail.com

## Executive President

**Jogaram**, IAS
Director
Directorate of Local Bodies
Jaipur
Contact No. 0141-2222403
E-mail: jogaram@gmail.com

## Vice Presidents

No Image

Chief Executive Officer
Ajmer Municipal Corporation
Ajmer
Contact No. 0145-2429953
E-mail: ajmermc@gmail.com

No Image

Chief Executive Officer
Jodhpur Municipal Corporation
Jodhpur
Contact No. 0291-2651464

No Image

**Balmukund Asawa**, RAS
Commissioner
Udaipur Municipal Council
Udaipur
Contact No.9413357125
E-mail:
mukund_asawa@rediffmail.com

**Madan Mohan Sharma**,
RAS
Chief Executive Officer
Kota Municipal Corporation
Kota
Contact No. 0744-2502293

**M.M. Vyas**, RAS
Chief Executive Officer
Bikaner Municipal Corporation
Bikaner
Contact No.
0151-2226900

## Treasurer

**Devraj Singh**
Chief Accounts Officer
Directorate of Local Bodies
Jaipur
Contact No. 9414068368
E-mail: zeba_zeba@rediffmail.com

## Secretary

**Rajendra Singhal**
Commissioner
Jaipur Municipal Corporation
Jaipur
Contact No. 9667443915

## Executive Members

**Anil K. Chaplot**, RAS
HUDCO Chair, HCM RIPA
JLN Marg, Jaipur
Contact No. 9314138820
E-mail: anilchaplot@rediffmail.com

**Upendranath Chaturvedi**
Commissioner
Jaipur Municipal Corporation, Jaipur
Contact No. 9001899210

**Mangatram Jat**
Commissioner
Kishangarh Municipal Council
Balotra, Dist. Barmer
Contact No. 9929105943

**Girish Dadhich**
PS to Hon'ble Minister
Industrial & Excise, GoR, Jaipur
Contact No. 9414079411

**A. N. Purohit**
Superintending Engineer
Rajasthan Housing Board, Janpath, Jaipur
Contact No. 9829065269

**Pradeep Naithani**
Superintending Engineer
Directorate of Local Bodies, Jaipur
Contact No. 9414079648

**K. K. Sharma**
Superintending Engineer
Jaipur Municipal Corporation, Jaipur
Contact No. 9829194003

**S.D. Thanvi**
General Manager
Avas Vikas Ltd.
4-S 24, Jawahar Nagar, Jaipur
Contact No. 9982609472

**Chandra Shekhar Sharma**
Executive Engineer
Jaipur Municipal Corporation
Jaipur
Contact No. 9829012727

**Tarachand Gusai**
Commissioner
Jodhpur Municipal Corporation
Jodhpur
Contact No. 9414196735

**C.P. Katariya**
Revenue Officer
Ajmer Municipal Corporation
Ajmer
Contact No. 9414281050

**Shiv Bhagwan Ghatala**
Revenue Officer
Sikar Municipal Council
Sikar
Contact No. 9829370788

## Executive Members

**Dinesh Pareek**
Revenue Officer
Vidhydharnagar Zone Office
Jaipur Municipal Corporation, Jaipur
Contact No. 9414312589

**Kishor Agarwal**
Revenue Officer
Jaipur Municipal Corporation
Jaipur
Contact No. 9829073976

**Shankardas Swami**
Executive Officer
Anupgarh Municipal Board
Anupgarh, Dist. - Sriganganagar
Contact No. 9460122562

**Dr. R.K. Garg**
Health Officer
Jaipur Municipal Corporation
Jaipur
Contact No. 9414288191

**Kishan Lal Kumawat**
Executive Officer
Bijaynagar Municipal Board
Bijaynagar, Dist. - Ajmer
Contact No. 9252066172

**Vijay Singh Shekhawat**
Executive Officer
Nawalgarh Municipal Board Nawalgarh,
Dist. - Jhunjhunu
Contact No. 9414432721

**Madan Gopal Vyas**
Sr. Accounts Officer
Bikaner Municipal Corporation
Bikaner
Contact No. 0151-2226900

**Nandlal Vyas**
Executive Officer
Phalodi Municipal Board
Phalodi, Dist. - Jodhpur
Contact No. 9460234155

**Ms. Anita Kumari Mittal**
Executive Officer
Kishangarh Renwal Municipal Board
Dist. - Jaipur
Contact No. 9785430620

**Bhagirath Mal Suthar**
Executive Officer
Malpura Municipal Board
Malpura, Dist. - Tonk
Contact No. 9461688563

**Ms. Rekha Meena**
Revenue Officer
Bundi Municipal Board, Dist. - Bundi
Contact No. 9460864425
E-mail : rekhameena83@gmail.com

**Ms. Manisha Yadav**
Executive Officer
Neem Ka Thana Municipal Board
Neem Ka Thana, Dist. - Sikar
Contact No. 9460122562

# प्रदूषण कम, रोशनी ज्यादा-एनर्जी बचत भी: अजमेर

**सी.पी.कटारिया,** राजस्व अधिकारी, अजमेर

अजमेर में बिजली बचत की एक नयी पहल शुरू हुई है, जिसमें टी–5 का स्ट्रीट लाईट में इस्तेमाल। इन लाईटों का फायदा न केवल एनर्जी सेविंग में हुआ है, साथ ही इससे कार्बन उत्सर्जन की निकासी में भी कमी आएगी। एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट को लागू करने से नगर निगम को ऊर्जा (एनर्जी) पर 53 प्रतिशत की बचत हुई है। बचत की गई 37280 यूनिट बिजली अन्य कार्यो के लिए सुलभ हो सकेगी। इससे नगर निगम को वार्षिक 72 लाख रूपये की सीधी बचत हुई है वहीं कौनसी लाईट बन्द है और कौनसी चालू इसकी जानकारी नगर निगम में बैठे–बैठे कम्प्यूटर पर प्राप्त हो रही है। निश्चय ही रोशनी व्यवस्था में सुधार हुआ है।

**शहर की जानकारी:** राजस्थान राज्य की हृदय स्थली के रूप में अजमेर की पहचान है। ब्रह्माजी के पावन धाम पुष्कर और ख्वाजा नगरी अजमेर को समन्वित संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का अन्तर्राष्ट्रीय उर्स मेला लगता है जिसमें देश विदेश के लाखों व्यक्ति आते हैं, वहीं नजदीक ही अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के आयोजन से शहर में लाखों व्यक्तियों का आना–जाना रहता है। जैन धर्मावलम्बियों का नायाब कला युक्त सोनी मन्दिर व नारेली तीर्थ होने से भी प्रतिदिन व्यक्तियों की आवक रहती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्व मण्डल, आयुर्वेद निदेशालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, रेलवे के कारखाने, इंजिनियरिंग व मेडिकल कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा नजदीक ही मार्बल नगरी किशनगढ़ के कारण लोगों की नियमित आवक रहती है। अजमेर शहर की आबादी 5 लाख से अधिक है और 55 वार्डो में विभक्त है।

**पहल करने से पहले की स्थिति** : शहर में स्ट्रीट लाईटों में 5000 सोडियम लाईटें, 17700 ट्यूब लाईट फिक्चर तथा 13 हाईमास्क लाईटें लगी हुयी है। जिस पर प्रतिवर्ष 688507 यूनिट बिजली खर्च होती थी। वित्तीय रूप से देखें तो 180 लाख रू. वार्षिक एनर्जी बिल का भुगतान करना होता था। इसके अतिरिक्त 140 टाईम स्विचों को बन्द करने व चालू करने पर 12 लाख रू. का व्यय होता था। इस प्रकार सार्वजनिक रोशनी पर कुल 252 लाख रू. वार्षिक का व्यय होता था।

**परियोजना** : नगर निगम के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबरीश कुमार ने एनर्जी सेविंग के लिए पहल की। उन्होंने अपनी योजना महापौर धर्मेन्द्र गहलोत को बतायी तो उन्होंने कहा कि यह तो करना ही चाहिए। फिर एक टैण्डर तैयार करवाया और समाचार पत्र सहित ई–टैण्डर पर जारी कर दिया जिसमें निम्न मुख्य बातें थी:

1. छः वर्ष के लिए टी–5 लाईटें लगाई जाएँगी जिसमें समान रोशनी होनी चाहिए।
2. वर्तमान में लगे फिक्चर का उपयोग टैण्डरदाता कर सकेगा।
3. लाईटों का संधारण टैण्डरदाता को करना होगा।
4. एनर्जी बिल में बचत की कितनी राशि नगर निगम की होगी।
5. एनर्जी बिल में कितनी बचत करेगा।
6. कार्य अवधि के बाद यह सम्पत्ति नगर निगम की होगी।

नगर निगम ने तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड के आधार पर एशियन इलेक्ट्रीकल्स लि. नई दिल्ली का टैण्डर स्वीकृत किया यह फर्म टी–5 लाइटों का उत्पादक भी है। जिसमें ठेकेदार 53 प्रतिशत की बचत करेगा तथा एनर्जी बचत का 94 प्रतिशत लाभ ठेकेदार कम्पनी तथा 6 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम का रहेगा।

कम्पनी ने लाईट बदलने का काम 20 जनवरी 2008 से शुरू कर दिया तथा अन्तिम कार्य सीमा 30 जून 2008 थी। इसके बाद कम्पनी को इनर्जी बचत का लाभ मिला। इस कम्पनी ने टी–5 128, 214, 414 व 424 की लाईटें लगाई है तथा कम्प्यूटर ऑपरेटेड टाईम स्विच (कन्ट्रोल पैनल) भी इसी कम्पनी द्वारा लगाये गये हैं।

**प्राप्त परिणाम : कार्बन उत्सर्जन पर कन्ट्रोल** : एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत पूरे राज्य में शुरू इस प्रोजेक्ट से अजमेर को खास फायदा हुआ है। विभिन्न शोधों में यह पाया गया है कि बिजली के एक वॉट के उपभोग से करीब एक ग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है। ऐसे में स्ट्रीट लाइटों से कम होता हर वाट शहर में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी उसी अनुपात में घटा देगा। इसका एक और फायदा अजमेर को विश्व बैंक और उस जैसी कुछ दूसरी इंटरनेशनल मॉनीटरी एजेंसीज से मिल सकता है। इन एजेंसीज ने दुनिया में ग्रीन हाऊस गैसों में कमी लाने के लिए जो घोषणाएं की है, उसके अनुसार अजमेर शहर से कार्बन उत्सर्जन जितना रोकेंगे उसके आधार पर एक निश्चित राशि विकास कार्यों के लिए आवंटित होगी।

**दूधिया रोशनी** : शहर को पहले से अच्छी दूधिया रोशनी मिल रही है व निजी भागीदारी से नागरिकों को अच्छी सेवाऐं भी मिल रही है।

**व्यय में बचत** : नगर निगम को प्रतिवर्ष 72 लाख रूपये की सीधी बचत हो रही है। बिजली के संधारण व मरम्मत पर की जाने वाली यह राशि व्यय नहीं करनी होगी। इसके अलावा बिजली बचत की राशि का 6 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम का है, यह राशि अन्य विकास कार्यो में व्यय की जा सकती है।

**शहर का सौन्दर्यकरण** : सफेद रोशनी से शहर का सौन्दर्य बढ़ा है। टी–5 लाईटें दिखने में भी सुन्दर हैं।

**मच्छरों से निजात** : सोडियम जैसी पीली लाइटों की रोशनी मच्छरों को आकर्षित करती है। कई बार पीली रोशनी के नीचे या नजदीक खड़ा होना भी दुश्वर हो जाता है। इस नयी व्यवस्था से मच्छरों से भी निजात मिली है।

**शिकायतों में कमी** : हेल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों में 45 प्रतिशत की कमी आई है। लाईटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से शीघ्र ही इन शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।

जी.एस.एम. सिस्टम से ऑटोमेटिक टाईम स्विच को ऑन व ऑफ की जानकारी नगर निगम में बैठे–बैठे कम्प्यूटर से प्राप्त की जा सकती है। इन टाईम स्वीचों को पंचांग के सुर्योदय व सुर्यास्त के अनुसार सैट कर दिया गया है ताकि कभी बादल हो जाने पर या मौसम की खराबी पर

अनावश्यक लाईटें चालू न हो जायें। शहर के वोल्टेज के अनुसार टाईम स्विच/कन्ट्रोल पैनल्स लगाये गए हैं। इससे प्रत्येक कन्ट्रोल पेनल पर वोल्टेज की स्थिति, रोशनी होने व न होने की स्थिति विद्युत समस्या की जानकारी कम्प्यूटर पर मिल रही है। इससे शिकायतों में कमी आयी है।

**निष्कर्ष** : इको फ्रेन्डली डवलपमेंट को लेकर शुरू हुई योजना में नगर निगम को आर्थिक बचत तो हुई है साथ ही प्रदूषण भी कम हुआ है तथा रोशनी भी अच्छी होने लगी है। लेकिन किसी नये कार्य में बाधा डालने वाले से निपटने के लिए शहरी निकाय प्रशासन को तैयार रहना होगा। अजमेर में भी कई असामाजिक तत्वों द्वारा सर्किट निकाल देना, तार काट देना कट–आउट निकाल कर ले जाना जैसी घटनायें हुयी तो महापौर धर्मेन्द्र गहलोत ने सभी वार्ड पार्षदों को चौकस किया तथा पेट्रोलिंग दल गठित कर इन पर नियन्त्रण पाया।

# सुदृढ़ शहरी निकाय : गुणवत्तायुक्त शहरी जीवन का आधार

**अशोक पारीक,** अधिशाषी अधिकारी, सांभर नगरपालिका

नगरपालिकाओं का प्रमुख कार्य शहरी नागरिक सुविधायें सुलभ रूप में उपलब्ध करवाना है तथा ये 74वें संविधान संशोधन के पश्चात संवैधानिक संस्थायें हो गई है। किन्तु बावजूद इसके ये संस्थायें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रही हैं। राजस्थान में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं की स्थिति अधिक दयनीय है। अतः शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समुचित बहाली के लिए नगरपालिकाओं को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। नगर निकायों के सृदृढ़ीकरण को मुख्य रूप से दो उपागमों में विभाजित किया जा सकता है।

**अ. संस्थागत उपागम, ब. सेवा आधारित उपागम**

यहाँ संस्थागत उपागम के तहत विभिन्न मुद्दों का ही विश्लेषण किया जायेगा।

**अ. संस्थागत उपागमः**

इस उपागम में पालिकाओं के आधारगत मुद्दे शामिल किये जा सकते हैं, जो निम्नानुसार है :

**1. वित्तीय पहलू –**

(1) सामान्यतः सभी नगरपालिकायें वित्तीय समस्या से ग्रसित हैं। राजस्थान में IV श्रेणी की नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति तो यहां तक है कि कुछ नगरपालिकाओं द्वारा कर्मचारियों को समय पर वेतन भी देय नहीं हो पाता है। ऐसी दशा के दो प्रभाव होते हैं–

(i) जो धन विकास कार्यों हेतु आवंटन किया जाता है उसमें कटौती कर कार्मिकों का भुगतान किया जाता है फलतः निकाय शहरी नागरिक सुविधाओं की बहाली करने में असमर्थ रहता है।

(ii) कर्मचारियों का मनोबल टूटता है फलतः या तो वे कुंठित हो जाते हैं अथवा भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं। दोनों हीं परिस्थितियों में निकाय के सार्मथ्य पर वितरीत प्रभाव पड़ता है।

(2) नगरपालिकाओं के पास स्वयं के वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और जो साधन हैं वे लोचशील नहीं हैं। अतः नगरपालिकायें वित्तीय मामलों में अमूमन राज्य सरकार की तरफ देखती हैं। अतः नगर निकायों के पास वित्तीय स्त्रोत सदैव मांग की तुलना में कम ही रहते हैं। फलतः निकायों की एक ओर स्वायत्तता भंग होती है वहीं दूसरी ओर अपर्याप्त वित्तीय स्थिति के कारण ये पंगु बन जाती हैं।

शहरी निकाय शहरवासियों को आवश्यक मूलभूत सुविधायें प्रभावी एवं समुचित तौर पर उपलब्ध करवा सके इसके लिए प्राथमिक रूप से यह आवश्यक है कि ये निकाय आर्थिक दृष्टि से स्वःनिर्भर बने क्योंकि वित्त ही वह मूल तत्व है जो योजनाओं को कागज से कार्य में परिणित करता है। इसके लिऐ व्यवहारिक तौर पर निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं–

(1) प्रचलित कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों का आकलन कर नये शुल्क व कर लगाये जाने चाहिये। जैसे भूमि व मकान की खरीद फरोक्त पर न्यूनतम दर से कर लगाना, पार्किंग शुल्क लगाना, न्यूनतम दर से विशेष बाग बगीचों में प्रवेश शुल्क वसूलना इत्यादि। किन्तु इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है कि कर बढ़ाने के साथ साथ सेवाओं की आपूर्ति की गुणवत्ता में भी आनुपातिक रूप से सुधार आना चाहिये। तभी जन मानस में बढ़े हुए कर स्वीकार होंगे अन्यथा नहीं। अतः सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ आय के नये स्त्रोत विकसित किये जा सकते हैं जो पुनः सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। और यह सेवा आपूर्ति कर का चक्र (virtous circle of service supply tax) एक ओर शहरी निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे वहीं दूसरी ओर सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता उतरोत्तर बढ़ती जायेगी। अन्ततः कर इष्टतम दर पर आ जायेंगे और स्थिर हो जायेंगे वहीं दूसरी ओर सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता उतरोत्तर बढ़ती जायेगी।

(2) निकाय सीमा में आने वाली सिवाय चक, सरकारी भूमि, अन्य भूमि इत्यादि को एकत्रित कर भूमि बैंक बनाया जाये जिसमें शॉपिगं मॉल, व्यवसायिक, रिहायशी भूमि आवंटन इत्यादि से आय स्त्रोतों में वृद्धि करनी चाहिये।

(3) शहरी निकाय को स्वयं की आर्थिक गतिविधियों में भी संलग्न करना चाहिये जैसे सिनेमाघर, पेट्रोल पम्प तथा समारोह स्थल आदि एक स्थानीय निकाय कम्पनी गठित कर संचालित किये जा सकते हैं। शहरी अन्य सुविधायें जैसे सामुदायिक सेवा केन्द्र, जलपान गृह इत्यादि विकसित कर न्यूनतम दर पर उन्हें नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। इसका दोहरा प्रभाव होगा कि एक ओर शहरी निकाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, वहीं नागरिकों को न्यूनतम दर पर शहरी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

**2. कार्मिक पहलू –**

कोई भी संगठन तभी बेहतर रूप से कार्य कर सकता है जब उसकी कार्मिक व्यवस्था प्रभावी हो व एण्ट्रोपी से मुक्त हो। प्रायः देखा गया है कि नगर निकायों में कार्मिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। परिणामस्वरूप निकाय कार्यों को प्रभावी रूप से अंजाम देने में असमर्थ रहते हैं। कार्मिक दृष्टिकोण से नगर निकायों में निम्नानुसार कमियाँ हैं जिनको दूर किये बिना नगर निकाय प्रभावी तौर पर कार्य करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकते हैं–

(i) प्रायः देखा गया है कि नगरपालिकाओं में राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक व तकनीकी सेवा के अधिकारियों को छोड़कर शेष कार्मिक स्थानीय होते हैं जिनका स्थानान्तरण भी

नहीं होता है। स्थानीय होने के कारण उनके राजनीतिक गठजोड़ होना स्वभाविक है और इस गठजोड़ के कारण वे राजनीति से प्रेरित होकर कार्य करते है। स्थानीय कार्मिक राजनीतिक रूप से सक्षम होने के कारण अधिकारी चाहकर भी उनके विरूद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ रहते हैं। फलतः नगर निकाय नागरिक सुविधा की बहाली में अक्षम महसूस करते हैं।

(ii) नगर निकायों में कार्यरत कार्मिक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। अतः वे स्थानीय सरकारों में उस दृष्टिकोण से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें प्रशिक्षण के अभाव में अभिप्रेरणा व मनोबल का भी अभाव रहता है। फलतः निकाय नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाते हैं।

कार्मिक किसी भी संगठन को कार्यरूप में परिणित करने करने वाला तंत्र है। संगठन की सफलता कार्मिकों के उच्च मनोबल पर अधिक निर्भर करती है। शहरी निकायों का भी सबसे नकारात्मक पक्ष कार्मिक ही है।

कार्मिक व्यवस्था में सुधार करके ही शहरी निकायों द्वारा नगरवासियों को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में सशक्त किया जा सकता है। कार्मिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैंः–

अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों में भी अर्न्तनगरपालिका स्थानान्तरण को लागू किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में निर्णय पूर्णतया प्रशासनिक होना चाहिये। यह स्थानान्तरण प्रक्रिया अत्यंत सरल होनी चाहिये। इन व्यवस्थाओं से कार्मिकों के राजनीतिकरण पर अंकुश लग सकेगा।

नगरपालिकायें इसलिये भी प्रभावी कार्य नहीं कर पाती क्योंकि आवश्यक कार्यबल ही नहीं है। एक व्यक्ति से अनेक कार्य लिये जाते हैं। अधिकांश पद रिक्त पड़े रहते हैं। फलतः सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आना स्वाभाविक है। अतः समस्त रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिये तथा आवश्यक कार्यबल की भर्ती की जानी चाहिये।

प्रभावी दण्ड–पुरस्कार व्यवस्था लागू कर कार्मिकों के मनोबल को बनाये रखना चाहिये।

### 3. कानूनी पहलू :

- निकायों को 18 विषय पूर्णतः हस्तांतरित कर दिये जाने चाहिये तथा तृतीय सूची जिसे स्थानीय सूची का नाम दिया जाये बनाई जानी चाहिये। 18 विषयों के संदर्भ में ये निकाय पूर्णतः स्वायत्त होगें जिस प्रकार राज्य सूची में वर्णित विषयों के संदर्भ में राज्य सरकारें होती हैं। इस प्रकार ये निकाय स्थानीय सरकार की भांति कार्य करनी चाहिये। संवैधानिक संस्था का संचालन संवैधानिक तरीके से हो और इसके लिये उन्हें 18 विषयों पर पूर्णतया कानून बनाने के अधिकार सौंपे जाने चाहिये।
- नगर निकायों को पूर्णतया राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने के साथ साथ यह जरूरी है कि राज्य सरकारें किसी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से उन पर अंकुश भी रखे। इससे एक ओर स्थानीय सरकारों की स्वायत्ता बनी रहेगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय सरकारें भ्रष्टाचार से मुक्त भी हो सकेंगी। एक अधिशाषी अधिकारी की समस्त सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करे तथा राज्य सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो। ताकि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। इससे निकायों में बेहतर जनहित के निर्णय होंगे। कार्य में पारदर्शिता व जवाबदेयता आयेगी। फलतः निकाय सुदृढ़ होंगे।

### 4. प्रशिक्षण

सेवाओं की गुणवत्ता के लिए सबसे अहम सवाल है कि सेवा आपूर्ति कुशल है अथवा नहीं?उच्च व गुणवत्ता युक्त सेवाओं की आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाताओं का न केवल कुशल होना ही जरूरी है वरन वर्तमान में प्रचलित नयी प्रणालियों से वाकिफ होना भी जरूरी है। अतः प्रशिक्षण एक आवश्यक तत्व के रूप में उभरता है। नगर निकाय के कार्मिक वर्तमान में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है। नगर निकायों की कार्यशैली मे सुधार के लिए कार्मिकों को दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

(1) तकनीकी प्रशिक्षण (2) नैतिक प्रशिक्षण

**(1) तकनीकी प्रशिक्षण**–शहरवासियों को सफाई, रोशनी, आवास इत्यादि की सेवायें गुणवत्तापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि कार्य में –

(i) समय प्रबंधन (ii) आई.टी. का प्रयोग (iii) नई प्रबन्ध तकनीकों के बारे में जानकारी (iv) आवश्यकतानुरूप कार्य, इत्यादि का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इसके लिये स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर एक प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार कर समस्त शहरी निकायों के कार्मिकों को समयबद्ध प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

**(2) नैतिक प्रशिक्षण**

इसके अतिरिक्त शहरी निकाय के कर्मचारी पुराने ढ़र्रे पर ही कार्य कर रहे हैं। जिससे पालिका व आम जनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संवाद संबंध कायम नहीं हो पा रहे हैं। निकाय की सेवा आपूर्ति क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः कार्मिकों को नैतिक प्रशिक्षण भी दिये जाने की आवश्कता है। कार्मिकों की सोच में पर्याप्त बदलाव व सेवा भावना विकसित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए "नागरिक केन्द्रित पहुँच" विकसित की जानी चाहिये। कार्मिकों के Mind Set को सेवा भावना से युक्त किया जाना चाहिये। अतः कार्मिकों को नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाना समीचीन है।

### 5. अन्य

शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण के लिए संस्थागत सुधारों के अन्तर्गत विविध प्रकार के कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है–

सूचना तंत्र को और सुदृढ़ किया जाना।

शहरवासियों की आवश्यकता का विश्लेषण कर तद्नुसार विकास योजना का प्रारूप तैयार करना।

शहर के प्रमुख उपयोगी स्थलों को परिभाषित कर तद्नुरूप विकास योजना तैयार करना जैसे शहर यदि पुरातात्विक स्थल है या हेरिटेज है इसको चिन्हित कर तद्नुरूप विकास करना।

शहर का मास्टर प्लान तैयार करना।

उपर्युक्त संस्थागत उपागम के तहत विचारणीय मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही कर शहरी निकायों को आधारभूत रूप से सुदृढ़ किया जाये तो शहरी निकाय ओर बेहतर शहरी जीवन प्रदान करने में सक्षम सिद्ध हो सकते हैं।

# भू-जल पुर्नभरण के प्रयासों में एक शहर - भीलवाड़ा

**राजेन्द्र सारस्वत,** प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फैडरेशन

निरन्तर कम होती वर्षा, जमीन में घटता जल स्तर, बढ़ती जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति खर्च होने वाली पानी की मात्रा से उत्पन्न पानी की कमी ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। जब शहर में हैण्ड पम्प लगाये गये तब पानी 40 से 60 फीट पर था। बाद में सारे हैण्ड पम्प सूख गये। 100 से 300 फीट गहरे ट्यूबवेल लगाये गये वे भी गर्मी में हिचकिया खाने लगे। पानी की पूर्ति के लिए प्रशासन को टेंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ा। शहर के ट्यूबवेल सूखते गये दूर–दूर से पानी आने लगा और वह भी समुचित पूर्ति नहीं कर पाने से बीसलपुर बांध का पानी नसीराबाद से भीलवाड़ा ट्रेन से आने लगा। इन सारी परिस्थितियों ने भीलवाड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को पानी के सम्बन्ध में विचार करने पर विवश कर दिया। वर्षा के पानी को व्यर्थ बहने से बचा कर जल संरक्षण हेतु जमीन में पानी उतार कर भू–गर्भ का जल स्तर बढाने पर विचार को प्रबलता प्रदान की गई। वैज्ञानिक सोच का अनुकरण करने की चर्चा होने लगी तब नगर परिषद् ने व्यर्थ पड़े ट्यूबवेल का उपयोग भू जल पुर्नभरण में कर प्रदेश में एक मिसाल कायम की है।

स्वायत्त शासन विभाग के तत्कालीन सचिव ने इस योजना के क्रियान्वयन को प्रशासनिक आदेश के जरिये बल प्रदान किया। तत्कालीन आयुक्त श्री गिरीश दाधीच एवं अधिशाषी अभियन्ता श्री खिलाड़ी राम मीणा ने इसे मूर्त रूप देने के लिए नगर परिषद् के 20 भवनों को चुना जिसमें भीलवाड़ा नगर परिषद् का कार्यालय, सामुदायिक भवन आदि थे। कार्यालय एवं सामुदायिक भवनों की छत से नालियों, सड़क एवं मैदान में गिरने वाले पानी को पाइप के जरिए एक या एक से अधिक गड्डें खोद कर उनमें उतारा गया ताकि छतों से वर्षा का पानी सीधे गड्डों में उतर जाये और पानी जमीन में उतर कर जमीन का जल स्तर बढ़ाये। छोटे गड्डों को बड़े गड्डों से पाइप लाईन के जरिये जोड़ा गया ताकि छोटा गड्डा भर जाये तो पानी बड़े गड्डें में चला जाये। छोटे – बड़े सभी गड्डो को कच्चा रखा गया ताकि उनमें पानी भर कर जमीन में उतारा जा सके। छत से गड्डों तक पाईप के रूप में पी.वी.सी. पाईप का उपयोग किया गया जो काफी सस्ता पड़ा। मॉडल डेमोंस्ट्रेशन के लिए यह सस्ती सुन्दर योजना प्रस्तुत की गयी। जिनके घरो में ट्यूबवेल गर्मी में सूख गये थे उन्हें यह योजना बहुत पसन्द आयी और इस योजना को अपनाने से कई घरों में ट्यूबबेल रिचार्ज भी हुऐ।

### व्यर्थ ट्यूबवेल का उपयोग भी

नगर परिषद् द्वारा कराये गये इस कार्य से फायर स्टेशन पर लगाया गया ट्यूबवेल भीषण गर्मी में भी पूरा पानी देता रहा। राजस्थान में पहली बार व्यर्थ पड़े ट्यूबवेल का उपयोग जल संरक्षण हेतु नगर परिषद् ने किया। बाद में इसका अनुकरण अन्य विभागों ने भी किया। भीलवाड़ा में कई जगह ट्यूबवेल खोदे गये लेकिन वहाँ पानी नहीं आया। ऐसे ट्यूबवेलों में पाईप के जरिये छतों की पाईप लाईनो को जोड़ा गया ताकि वर्षा का पानी जमीन में गहराई में जाकर पानी का स्तर बढ़ा सके। इससे जल संरक्षण व्यय में कमी आयी तथा व्यर्थ पड़े टूयूबवेल का उपयोग भी हो पाया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अध्यक्ष श्री पी. पुरूषोत्तम भीलवाड़ा जल पुर्नभरण प्रक्रिया को देख कर बहुत प्रसन्न एवं प्रभावित हुए। जल संरक्षण के इस प्रोजेक्ट से सीख लेकर भीलवाड़ा में कई परिवारों ने वर्षा के पानी को छत से टैंक में इतना इक्ठ्ठा कर लिया कि उन्हें वर्षभर दूसरे पानी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जिले की सभी नगर पालिकाओं ने इसका अनुकरण कर अपने यहाँ जल संरक्षण के इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया है। आवश्यकता है कि जनता भी ऐसा करे।

राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फैडरेशन के पदाधिकारियों ने सभी जगह नक्शा पास करवाकर नया भवन बनाने वालों को जल संरक्षण के इस प्रोजेक्ट को अपने नये भवन में लगाकर लाभ उठाने को प्रेरित किया है। राजस्थान में जिस प्रकार से सतही जल व भूजल की कमी हो रही है, यह तकनीक काफी कारगर साबित हो सकती है। अतः राज्य के समस्त निकायों द्वारा इस तकनीक को अपनाया जाना चाहिए व इसे प्रोत्साहन भी देना चाहिए ताकि आम जनता इसे अपना सके व पानी की समस्या से निजात पा सकें।

# सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में विद्युत बचत की पहल-कोटा नगर निगम

**यदुनन्दन गौड़,** सहायक अभियन्ता (विद्युत), कोटा नगर निगम

कोटा नगर निगम के दल द्वारा निगम क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद महसूस किया गया कि शहर के मार्ग पर जो 30 फिट चौड़ाई या इससे भी कम चौड़े है, उन पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु 70, 150 व 250 वाट की सोडियम लाईटें लगाई गई है, जो वास्तविक आवश्यकता से अधिक रोशनी वाली है जिससे विद्युत ऊर्जा की खपत भी अधिक हो रही है। इस अनावश्यक विद्युत ऊर्जा खपत को ध्यान में रखकर अवधारणा बनायी गई जिसके पीछे उद्देश्य था कि अगर शहर के आन्तरिक इलाकों की सडकों पर लगी हुई 150 व 250 वाट की सोडियम लाईटें हटाकर इनके स्थान पर 65 वाट की सी.एफ.एल. एनर्जी सेवर लाईट्स लगाई जाये तो निम्न लाभ हो सकते हैः–

1. एक पाईन्ट पर औसतन 100 वाट विद्युत ऊर्जा बचाई जा सकती है।
2. सार्वजनिक सड़क पर दूधिया प्रकाश होगा।

3. लाईट एवं ब्रेकेट ओरनामेन्टल उत्कृष्ट एवं आकर्षक दिखेगें।
4. पर्यावरण में सुधार होगा क्योकि सी.डी.एम. की मात्रा कम होगी।
5. मैन्टीनेन्स का कार्य बहुत ही सरल एवं कम समय में हो जायेगा।
6. नया विद्युत पोल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।

अतः इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 2.7.2007 से 31.3.2008 तक कोटा नगर निगम द्वारा कुल 550 पोइन्ट्स से 70, 150 व 250 वाट सोडियम लाईटें हटाकर 65 वाट सी.एफ.एल. एनर्जी सेवर लाईट लगाई जाने से निम्न लाभ हुए हैः–

1. प्रतिमाह 16,500 यूनिट बिजली की बचत हुई है। इस प्रकार प्रयास करने से प्रति वर्ष 8 लाख रूपये की विद्युत ऊर्जा बचायी जाना निश्चित हो गया है।
2. इस प्रकार की लाईटों के लगाने से मार्ग की लाईटों का अकर्षण बढा है तथा सड़क पर दूधिया प्रकाश हो रहा है।
3. इस प्रकार की लाईटें लगाने से पर्यावरण में भी सुधार की दृष्टि से सी.डी.एम. की मात्रा कम हुई है।

अतः भविष्य में 500 एनर्जी सेवर लाईटें सोडियम के स्थान पर परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। आम जनता द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की सराहना भी की गई है।

उपरोक्त कार्यवाही के अलावा नगर निगम क्षेत्र में विकास एवं स्ट्रीट लाईट ऊर्जा बचत के अन्तर्गतः–

1. सभी पेनलों पर टाईम स्विच/सोलर स्विच लगाये गये है।
2. डिवाईडर पर केबल ठीक कराकर एक छोर पर एक लाईट रात्रि में 11.00 बजे बाद चालू रहने की कार्यवाही की जा रही है।
3. मुख्य मार्ग जिन पर यातायात भार कम है उन पर लगे पोल्स से सोडियम लाईटों को हटाकर आकर्षक सी.एफ.एल. लाईटें लगाई जा रही है।

**निष्कर्षः**– उपरोक्त कार्यवाही करने से वर्तमान मे लगे पुराने पोल भविष्य में आकर्षक एवं विद्युत उर्जा बचत करने में लाभदायक साबित होगें। अन्य निकायों द्वारा भी इस प्रकार की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए।

# Accrual Based Double Entry Accounting System in Jaipur Municipal Corporation

**Anil Chaplot,** Addl. Director, HCM RIPA

The National e-Governance Plan (NeGP), Government of India identified the municipal governance as one of the Mission Mode Projects Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM), Government of India, aims at promoting the use of ICT tools in municipalities for good governance. Training and capacity building for e-governance at the local level has been planned in a big way based on a prior assesment of training and skill needs across all the urban local bodies in the country.

Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP), Local Self Government Department and Jaipur Municipal Corporation (JMC) Jaipur initiated an e-governance project in the year 2005 for development and implementation of integrated computerized system for efficient service delivery to citizens, proper management of municipal functions, revenue improvement and capacity building of municipal personnel in use and maintenance of such system through a Total Solution Provider (TSP). Nearly all the modules recommended in the National Mission Mode Project have been covered in this project.

Until recently all municipalities in the state were expected to maintain the accounts in accordance to the Rajasthan Municipalities Accounts Rules, 1963, promulgated under the Rajasthan Municipalities Act, 1959. These rules did not provide for maintenance of accounts on the basis of accrual based double entry accounting system. However, the Rajasthan Municipalities Ordinance, 2008 has made it imperative for all the municipal bodies of the state to maintain the accounts in accrual based double entry accounting system.

***Status before Implementation***

JMC maintained accounts in a single entry receipts based system. Codifications system did not exist for grouping, sub-grouping and individual account heads. In absence of any codification system there was tendency to include different figures in various tables prepared on different occasions. The budget preparation exercise had to be repeated inentirely every year. Compilation of budgets at district, division or at the state level was not possible. There was no linkage between the budget and the accounting system and budget variance reports were prepared only when such a demand arose. The budget control was also done manually.

All accounting was done through the cash and bank book and no linkages existed between the accounts sections and any of the revenue sections, establishment, building permission etc. System did not exist for preparing ledgers on regular basis. Bank reconciliation of accounts at head offices was periodically done but the accounts of the zonal officers were not regularly reconciled. Trial balance and annual financial statements were not prepared. Few MIS reports could be prepared when desired, but in absence of any standardization, the compiled figures often differed. Records of municipal assets were not compiled. No standard valuation was made. The accounting system did not show the total and depreciated value of the assets.

***Status after Implementation***

A system of condification for all items appearing in the budget has been introduced. All tables are linked with each other and balances are generated from same record. Following vouchers are necessarily being made: (i) cash report, (ii) cash payment, (iii) bank receipt, (iv) bank payment, (v) purchase voucher, and (vi) general voucher.

As accounts are maintained based on double entry accounting system, entries are imported into accounting system from all subsidiary ledgers. The accounting system has control accounts of all subsidiary ledgers.

Ledger preparation of all accounts is simultaneous along with preparation of basic books of accounts. Computerized bank reconciliztion system exists and regular entries of bank statement are being made and accounting entries imported to do the bank reconciliation. Accounts are prepared according to standard accounting principle using proper accounting codes and the system is capable of generating all reports as per National Accounting Manual. It is possible to compile various statements at district, division or the state level. Trial balance can be generated at any time and annual financial system grouping can also be done at any time, which will be subjected to suitable entries being passed such as for depreciation, asset creation, accrual based entries. An assets management module has also been developed for recording all individual assets and its linkage with accounting system. Generation of MIS is regular and part of the system.

Courtesy: Prashasnika, HCM RIPA

## Central Secretariat Service Officer's (CSS) visit to Jaipur

Government of India has formulated a Comprehensive Cadre Training Plan for Officers belonging to the Central Secretariat Service with reference to their expected role at various stages in their career and the corresponding competence needs. Twenty four officers of Central Secretariat Service in 5 batches visited Jaipur Municipal Corporation from 12th to 26th March, 2009 to impart training for various Municipal functions.

You can send CMAR information about the good works done in your city in any of the areas listed below:

**I Infrastructure Services**

- Water Harvesting
- Solid Waste Management
- Public hygiene, Sanitation and toilets
- Sewage and drainage
- Lighting of Roads, Public Areas
- Markets, Shopping Complexes etc.
- Building Regulations
- Fire services

**II Financial Management**

- Expenditure control
- Property Taxation
- Double Entry Accounting System
- Advertising, Parking, License
- Innovative Financing & Revenue source

**III Social**

- Slum Improvement
- Poverty Alleviation
- Women Empowerment
- Veterinary Services/Animal Management
- Public Awareness/ Citizens' Participation
- SHGs

**IV Public Private Partnership**

- Innovative Contractual agreements
- Contracts on BOO, BOT, BOOT basis
- Involvement of NGOs in various activities

**V Others**

- Reforms in Goverance
- Computerization/ E-governance/ GIS
- Decentralization of Administration
- Gardening and plantation
- Tourism Development, Heritage, Culture
- Disaster Mitigation/ Management
- Rehabilitation and Reconstruction
- Public Transport

## प्रगतिवाद

गाँव छोड़ कर शहर आया पुरूष
शहर के उहापोह में
फँस कर रह गया है।
गाँव में स्वयं को समझता था
पिछड़ा हुआ।
शहरीकरण उसे रास नहीं आता,
मन से सीधा–सच्चा ग्रामीण है।
तन से बन गया
रंगीला छैल–छबीला
मन और तन का
विरोधाभास
झेल नहीं पा रहा।
जानता है
भली–भाँति
पर लगा है
इस उहापोंह में
ग्रामीण से शहरी होकर दिखना चाहता है
प्रगतिवादी।

**रेनु जुनेजा**
जनसम्पर्क अधिकारी
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग

## Invitation for Proposals for documentation of Good/Best Practices

We know you have done some good works in your city too. We request you to give some of the good/best practices in your local body for us to disseminate in the national/ international forums for sharing. Once we receive proposals from you on best practices of your local body, we shall be visiting your local body togather the required data and information.

# गुजरात नगरपालिका सेवा के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का राजस्थान में शैक्षणिक भ्रमण

गुजरात प्रान्त की नगरपालिकाओं के 23 सदस्यीय दल ने दिनांक 7–9 जुलाई, 2009 को श्रीमति तृप्ति जैन, कार्यकारी निदेशक, सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन गुजरात के नेतृत्व में राजस्थान की जयपुर, अजमेर व पुष्कर नगरपालिकाओं द्वारा किये जा रहे कार्यो का अवलोकन किया। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य नगरीय निकायों द्वारा किये जा रहे सर्वोत्तम कार्यो जिनमें प्रमुखतः ठोस कचरा प्रबन्धन, ई–गर्वनेन्स, शहरी सौन्दर्यकरण, विरासत संरक्षण, वित्तीय प्रबन्धन के क्षेत्र में आये नवाचरों का अध्ययन करना था।

**इस शैक्षणिक भ्रमण की रूपरेखा तैयार करने व दल को भ्रमण करवाने का कार्य सिटी मैनेजर्स ऐसोसिएशन, राजस्थान द्वारा सम्पादित किया गया।**

**जयपुर (7–8 जुलाई, 2009)**

7 जुलाई 2009 को सर्वप्रथम दल को सीवरेज ट्रीटमेन्ट व पावर जेनरेशन प्लान्ट, डेलावास का अवलोकन करवाया गया। वहां के अधिकारियों द्वारा प्लान्ट का भ्रमण करवाया गया व प्लान्ट के संचालन व प्रक्रिया की जानकारी दी गई और बताया कि जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र के सीवरेज को प्लांट से जोड़ा गया है। यहाँ पानी तीन प्रक्रियाओं मे साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है और हालही में स्थापित प्लान्ट से मिथेन गैस बनाने की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। जिससे प्लान्ट के संचालन पर होने वाले मासिक विद्युत खर्च लगभग 14 लाख रू. की बचत होगी। भ्रमण दल ने प्लान्ट की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली व प्लान्ट की काफी सराहना की।

भ्रमण दल ने जयपुर नगर निगम में ई–गवर्नेन्स सेल का अवलोकन किया। ओसवाल डेटा प्रोसेसिंग के श्री दिलीप दोसी व प्रोग्रामर ने बताया कि वर्तमान में 24 माड्यूल पर कार्य किया जा रहा है। दल ने सेल के अधिकारियों से ई–गवर्नेन्स सेल की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। नगर निगम में हेल्प लाईन सेन्टर द्वारा बनाये जाने वाले समस्त प्रकार के प्रमाण पत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई ।

इसके पश्चात् भ्रमण दल ने श्री राजेन्द्र सिंघल, सचिव, सी.एम.ए.आर. और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें नगर निगम द्वारा किये जा रहे ठोस कचरा प्रबन्धन, शहर के सौन्दर्यकरण, विकास कार्यो व वर्तमान में चल रहे प्रोजक्ट के बारे में चर्चा की गई। श्री उपेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, आयुक्त, ने वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी व कच्ची बस्तियों के विकास के बारे में भी विस्तार से बताया। श्री के. के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ने जेएनएनयूआरएम के तहत चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में भ्रमण दल को जानकारी दी तथा साथ ही श्री के. डी. शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया। अन्त में भ्रमण दल को बोर्ड मीटिंग हॉल का अवलोकन करवाया गया जिसकी दल द्वारा काफी सराहना की गई।

भ्रमण दल को वार्ड 58 में किये गये विकास कार्यो जिसमें गोविन्द देवजी के मन्दिर के आसपास किये गये सड़क मरम्मत व अन्य विकास कार्यो, तालकटोरा, पोन्ड्रिक उद्यान व वृहद नाले को ढकने के लिये की गई आर.सी.सी. का भ्रमण करवाया गया। जयपुर शहर की चार दीवारी क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में किये गये प्रोपर्टी कनेक्शन का भी अवलोकन करवाया गया।

8 जुलाई, 2009 को भ्रमण दल को आमेर क्षेत्र में विरासत संरक्षण के अन्तर्गत कराये गये कार्यो से अवगत कराया गया इसके अन्तर्गत पुरानी बावड़ियों की मरम्मत करावकर उनका जिर्णोद्धार किया गया है। भ्रमण दल ने पन्ना मीना बावड़ी का भी भ्रमण किया और वहां विरासत संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत करवाये गये विभिन्न कार्यो का अवलोकन किया। इसके बाद भ्रमण दल को शहर के सौन्दर्यकरण के लिए मिशन अनुपम के तहत किये गये कार्यो जिसमें जल महल के आसपास के क्षेत्र, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड़, रामबाग सर्किल व फ्लाई ओवर का भी अवलोकन करवाया गया।

भ्रमण दल ने बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का भ्रमण किया और अस्पताल कचरे के प्रबन्धन के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्लान्ट पर भ्रमण दल को वहां के अधिकारियों ने अस्पताल में रखे जाने वाले अलग–अलग रंग के थैलो के बारे में जानकारी दी। उन्होने बताया कि अस्पताल के कचरे का संग्रहण करके प्लान्ट पर उसको अलग–अलग श्रेणी में बांट लिया जाता है।

**अजमेर–पुष्कर** (9 जुलाई, 2009)

पुष्कर नगपालिका के अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा से भ्रमण दल ने भेंट की। पालिकाध्यक्ष ने दल को नगपालिका द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी दी व बताया कि पालिका द्वारा मास्टर प्लान के अनुसार ही शहर का विस्तार किया जा रहा है व विकास कार्य करवायें जा रहे है। उन्होनें जानकारी दी कि पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, पर्यटन व धार्मिक स्थल होने के कारण विभिन्न प्रोजेक्ट के तहत पालिका को राशि का आवंटन किया गया है व विभिन्न प्रकार के कर से नगपालिका को अच्छी आय भी हो रही है। भ्रमण दल ने राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत पुष्कर झील के संवर्द्धन का अवलोकन किया। नगर सुधार न्यास, अजमेर के अधिशाषी अभियन्ता ने पुष्कर झील में किये जा रहे

विकास कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। उन्होनें बताया कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 4836.70 लाख रू. की पुष्कर झील के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत पुष्कर झील के घाटों का भी पुनरोद्धार किया जायेगा व लोगों में जन जागृति लायी जायेगी जिससे झील व घाटों की पवित्रता व सौम्यता बनी रहे।

अजमेर में भ्रमण दल ने नगर निगम के महापौर श्री धर्मेन्द्र गहलोत से भेंट की। महापौर ने दल को निगम की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होनें दल को टीम भावना बनाये रखने के गुर बताये। महापौर गहलोत ने गुजरात में निकायों की आय के स्त्रोतों बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य अधिकारी श्री सी.पी. कटारिया ने ठोस कचरा प्रबन्धन तथा एनर्जी सेविगं प्रोजेक्ट के बारे में भ्रमण दल को विस्तृत जानकारी दी। भ्रमण दल ने नगर निगम द्वारा किये गये दरगाह क्षेत्र के विकास कार्यो का व आनासागर झील संरक्षण प्रोजेक्ट का अवलोकन किया।

रात्रि भोजन के समय भ्रमण दल ने अजमेर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकरी श्री आर. एन. शर्मा व जयपुर नगर निगम के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दामोदर शर्मा से भेंट व चर्चा की । श्री दामोदर शर्मा ने शहरी विकास के अपने अनुभवों से दल को अवगत कराया व साथ ही जयपुर नगर निगम द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो प्रमुखतः बहुमंजिला व स्वचालित पार्किगं प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकरी दी।

इस भ्रमण में जयपुर में आवास की व्यवस्था हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान व अजमेर में विजयलक्ष्मी पार्क में की गई। भ्रमण दल द्वारा स्थानीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया।

## शहरी विकास की ओर सरकार का ऐतिहासिक कदम

**गिरीश दाधीच**, निजी सचिव, माननीय उद्योग एवं आबकारी मत्री, राजस्थान सरकार

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 को 15 सितम्बर 2009 से लागू किया है। इस अधिनियम में स्थानीय निकायों को राजस्व प्राप्ति के उपनियम बना कर लागू करने का अधिकार दिया है, इसके अलावा निकायों के बजट को बनाने व स्वीकृति के अधिकार भी शहरी निकायों को सौंपा है। स्थानीय सरकार को स्वायत्तता देने का यह क्रान्तिकारी कदम है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार ने महापौर, सभापति व अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदान से करवाने का ऐतिहासिक फैसला कर इस पद्धति से 46 शहरी निकायों में चुनाव भी करवा दिए है।

स्वायत्त शासन मंत्री श्री शान्ति धारीवाल, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग श्री जी.एस. सन्धू तथा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग श्री जोगाराम ने शहरी निकायों की आर्थिक हालत में सुधार करने हेतु 400 करोड़ का फण्ड बनाने के प्रयास शुरू कर दिए है यह राशि बिजली पर स्ट्रीट लाईट शुल्क, मोटर वाहन पंजीयन पर सरचार्ज, पेट्रोल डीजल पर सैस, पानी के बिलों पर सिवरेज चार्ज तथा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर सैस लगाया जाकर संग्रहित की जाएगी।

यही नहीं मोबाईल टावर के नियम बनाकर जहाँ खतरों को टालने की कार्यवाही शुरू की जा रही है, वहीं शहरी निकायों के नये वित्तीय स्त्रोत जुटाने का प्रयास होगा।

स्वायत्त शासन विभाग ने नये भवन नियम तथा अरबन डवलपमेन्ट टैक्स में सुधार करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि शहरी नागरिकों को बेहत्तर नगरीय सुविधायें उपलब्ध करवायी जा सके।

## Jaipur City Consultation on UN HABITAT State of the World's Cities Report 2010-11

The UN HABITAT has initated the process of preparation of the fifth State of the World's Cities Report (SWCR), 2010 scheduled to be brought out in early 2010. The main theme is Cities for All: Bridging the Urban Divide. Three Indian Cities i.e. Delhi, Mumbai and Jaipur will be included. The core challenges that have to be addressed in this context relate to provision of urban services, urban amenities and friendly environment to all the citizens on an equitable basis, both for living (habitats) and working. In effect, equal access to social, physical, economic and cultural

infrastructure is a paramount requisite of an inclusive society. The project was undertaken by Dr. Vinay D. Lall, Director General, Society for Development Studies (SDS), New Delhi.

To provide a proper insight into issues of Jaipur a half day Jaipur city consultation workshop was organized by SDS on 17th July, 2009 at Institute of Town Planners, Jaipur. The theme of workshop was Bridging the Urban Divide. The consultation was among a group of about 17 experts from the area of planning, housing, administration, economics, research, academics, NGOs and the media. The workshop was jointly chaired by Mr. G.S. Sandhu, PS, UDH & LSG, GoR and Mr. K.K. Bhatnagar, Former CMD, HUDCO and the following were present in the workshop- Mr. P.K. Pandey, CTP, Mr. Pradeep Kapoor, DTP, Prof. K.N. Joshi, Prof. Kanchan Mathur, IDS and Dr. Sunil Kumar Pareek, Coordinator, CMAR.

## Promoting Capacity Building: living up to the commitment

Strengthening urban management, through capacity building is a key area to aid Indian cities in meeting the challenges of urban development. This entails creation of a conducive and enabling environment for urban institutions to perform effectively, and for city managers to acquire the required knowledge, skills and expertise to plan, manage and govern their cities efficiently.

With this in background, National Institute of Urban affairs (NIUA) under Indo-USAID FIRE (D) Project organized a National Workshop on Capacity Building and Dissemination on 31 July, 2009 at NIUA, New Delhi. This workshop provided a platform to share experiences of training network institutes (TNIs) and select City Managers' Associations (CMAs). It aimed to capture aspirations and determine roles played by stakeholders towards promoting sustainable and inclusive urban development.

The workshop was attended by research and training institute under NIUA-FIRE (D) network: select CMAs, USAID, Water and Sanitation Program- Southa Asia (WSPSA), Technical Cell, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM) and experts working on urban capacity building issues.

Prof. Chetan Vaidya, Director, NIUA welcomed all participants. He mentioned that in the second phase of FIRE (D) project, NIUA established a network of training institutions to undertake decentralized capacity building and training for municipal staff and elected representatives.

He indicated that FIRE (D) project and JnNURM are two large urban programs generating enormous 'Knowledge network/ product' and as urban professionals, the participants need to disseminate these products among our peer group.

Prof. Mukesh Mathur, NIUA made a presentation on importance of upgrading skills of municipal personnel. Prof. Mathur indicated that FIRE (D) project could continue to coordinate and conduct capacity building activities in select TNIs and CMAs in the target states of Orissa and Madhya Pradesh with focus on urban water supply, sanitation and health for urban poor as per mandate in the extension period. Other activities that NIUA could partner include: (i) developing an Urban Cadre; (ii) developing national level best practice documentation on urban sector refrorm in select states/cities; (iii) undertaking effective dissemination to influence changes in JnNURM architecture; and (iv) broadening awareness of the latest trends in policy approach in urban sector.

A joint presentation was made by Ms. Archana Walia- USAID, Mr. Lee Baker and Mr. Alok Shiromony, FIRE (D) project. Mr. Baker introduced the FIRE (D) project, while Ms. Walia gave an overview of the FIRE (D) project's key achievements. She remarked that the overarching goal of the project has been to partner with government at national, state and local levels to improve systems for delivery of water and sanitation services especially those that benefit the urban poor. Mr. Lee baker thereafter gave a presentation on ongoing and in pipeline work of FIRE (D) project. He indicated that the FIRE (D) project is providing in depth support to Madhya Pradesh and Orissa. Mr. Shiromony made a brief presentation of learning from Bhubaneshwar financial management capacity building exercise.

Prof. V.K. Dhar, NIUA, thereafter presented an outline of purpose and objective of the PEARL programme and highlighted various activities undertaken by NIUA under PEARL project, as well as future actions.

The second session included presentation on capacity building and information dissemination initiatives by CMA-Gujarat. There were presentations on issues in knowledge exchange and developing capacities by selected TNI's. Centre for Research in Rural & Industrial Development (CRRID) and Kerala Institute of Local Administration (KILA) shared their experiences and brought forward a range of key challenges and some solutions towards ensuring sustainable capacity building in the urban sphere.

Mr. Tarun Kumar Gupta, Technical Cell, JnNURM made a presentation showcasing Government of India efforts for increasing skill and knowledge base of state and local government functionaris for effective implementation of JnNURM reform agenda as well as sustainable implementation of infrastructure projects. Considering the urgent need for widespread skill development of municipal staff for effective implementation of JnNURM, Mr. Gupta indicated that Ministry of Urban Development (MoUD) has launched a Rapid Training Program (RTP) under capacity building programme.

The way forward session was anchored by a set of eminent panelist including Mr. N. Bhattacharjee (WSPSA), Prof. Gangadhar Jha (Cosultant), Mr. Lee Baker (FIRE (D) project) Prof. Chetan Vaidya and Prof. Mukesh Mathur (NIUA). The panelists agreed that FIRE (D) project has significantly achieved its overall objectives, and its on-the ground results of creating and enabling enviroment for improved service delivery on a sustainable basis. One of the biggest achievements of FIRE (D) project was to influence a cross-range of state stakeholders and local governments, and ensuring learning from every corner of the country fed into decision making in other parts as well as into Government of India's approach to urban reforms.

- Source: NIUA

## Workshop on Strengthening City Managers' Association in India at Ahmedaba

NIUA in collaboration with the CMA Gujarat (CMAG) had organized a workshop on Strengthening City Managers Association in India under the USAID FIRE (D) project on September 4, 2009. Six CMA's namely CMA-Karnataka, CMA-Madhya Pradesh, CMA-Rajasthan, CMA-West Bengal, CMA-Maharastra and CMAG participated in the workshop and delivered presentations on role, achievements issues and suggestions to strengthen CMA movement in the country. Dr. Sunil Kumar Pareek, Coordinator, CMAR made a presentation on 'The role of CMA, Rajasthan in skill development of the Elected Representatives and Government Officials'.

Most of the professionals who initiated the CMA movement in India including Prof. Chetan Vaidya, Prof. M.P. Mathur, Mr. N. Bhattacharjee, Mr. P.U. Asnani, Ms. Manvita Baradi, Mr. Amitabh Ray and Mr. Lee Baker participated in the workshop and gave their valuabe inputs to strengthen CMAs.

**The way forward**

Depending of the presentation made by the invited guest experts and the proposal made therefore, following suggestions were made to empower the City Managers' Association:

CMA is a credible institute on the basis of its services, resposibilities and nonprofit status. The scope and extent of CMAs should spread in states that do not have them. So far 13 have been established out of which seven are non active. There should be an effort to revive the non active ones.

- The states where the CMAs have not been active need to reconsider the requirements of urban sector and accordingly realign the objectives, structure and role of the association. To modify the membership fees of CMAs for facilitating autonomy, development and financial independence.
- There is a need to have a national CMA/forum which can act as central platform to coordinate the acticities of all other CMAs. NIUA should appoint a coordinator who will act as a link between all CMAs. In most cases, the staff turnover is high or the staff positions lie vacant for long. To overcome this, in all the CMAs, there should be a uniform HR policy. Based on this appropriately skilled staff can provide better services by working with CMA for longer period.
- There shoud be a regular exchange of success stories and other experiences between various CMAs. The staff of every CMA shoud be deputed for one week to other CMAs so that they gain better understanding, experience and appropriate exposure.
- Capacity Building of CMA should be done by NIUA. NIUA shoud take initiative in calling a meeting of all 13 state secretaries and executives in colloboration with Ministry of Urban Development, Govt. of India.
- In order to build capacity of Municipalities, CMA should identify the gaps, prepare small action projects and implement it accordingly in the municipalities. The ICMA and NIUA should promote a financial pool Channel resource through CMAs gain financial strength for their activities. The Mega City Associations should be revived for which AMC is prepared to take an initiative.

-Source: CMAG

## Conference on the Globalizing State, Public Services and the New Governance of Urban Local Communities in India at IIM-Ahmedabad

The Public Systems Group at the Indian Institute of Management Ahmedabad has undertaken a Ford Foundation funded research project titled: 'The Globalizing State, Public Services, and the New Governance of Urban Local Commucities in India'. The project is undertaken by Prof. Ghanshyam Shah, Prof. Navdeep Mathur and Ms. Arpita Joshi at the IIM-A. The project seeks to provide an empirical examination of the impact of governance reforms on select small/medium cities with a focus on public service delivery systems related to the sectors of health, education and sanitation.

In this context a conference was held at the IIM Ahmedabad from 3rd to 5th of December 2009. The conference was attended by Mr. K.B. Kothari, Member, CTAG, Jaipur Municipal Corporation and Dr. Sunil Kumar Pareek, Coordinator, CMAR. The conference aims to generate a sharper understanding of the nature of public services in the contemporary context of governance reforms by engaging policy makers, experts and other stakeholders in discussions grounded in the case studies of medium and small cities in 6 Indian states (Orissa, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, West Bengal, and Rajasthan).

# The 15th Executive Committee Meeting of CMAR

The 15th Executive Committee Meeting of CMAR was held on 1st December 2009 at meeting hall of Directorate of Local Bodies, Jaipur. The meeting was chaired by Dr. Lalit Mehra, President, CMAR and CEO, Jaipur Municipal Corporation, Jaipur, in which different pending issuses of the association were sorted out. Following major decision were taken in the meeting:

- It was decided that the training program and interactive session may be imparted to the newly Elected Representatives of 46 ULBs.
- The General Body Meeting and election of the Executive Committee of the association to be proposed in January 2010. The Additional Director, DLB has been nominated as the Election Officer to conduct the election.

- For implementation the Information Education Communication (IEC) activities a sub committee has been formed which includes the following members: Mr. Girish Dadhich, Mr. Upendranath Chaturvedi, Mr. C.P. Kataria, Dr. Rajendra Garg, PRO, JMC.
- It was decided that for organizing 'Nagar Nirman Excon' (Exhibition & Conference) at Jaipur on the proposal of M/S Chandra Events & Productions Pvt. Ltd. a presentation should be made by M/S Chandra Event & Productions Pvt. Ltd. and approved by Hon'ble Minister, UDH & LSG.
- Three female EOs viz. Ms. Manisha Yadav, Ms. Anita Mittal, Ms. Rekha Meena has been nominated in CMAR Executive Committee as Executive Members.

# प्रशासन शहरों के संग अभियान-2010

राज्य के नगरीय क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान एवं निस्तारण के उद्देश्य से ''प्रशासन शहरों के संग अभियान–2010'' दिनांक 21 जनवरी से 7 मार्च, 2010 तक आयोजित किया गया व फॉलोअप केम्प का आयोजन 31 मार्च 2010 तक किया गया।

इस अभियान के दौरान नगरीय क्षेत्रों में शहरी निकायों से संबंधित समस्याओं के साथ–साथ अन्य विभागों यथा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं विद्युत निगम तथा राजस्व विभाग की भागीदारी से जन साधारण को राहत मिली व लंबित प्रकरणों का निस्तारण हुआ।

इस अभियान के दौरान निकाय स्तर पर निम्न कार्य सम्पादित किये गये:–

1. कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमन 2. स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे जारी किये गये 3. राजीव आवासीय योजना के तहत कच्ची बस्तियों का सर्वे किया गया 4. मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान का प्रदर्शन 5. सिटी डवलपमेंट प्लान 6. खांचा भूमि का आवंटन

7. शहरों में सिवाय चक भूमि का नगर निकाय में हस्तांतरण 8. राजकीय व नजूल भवन 9. भूखण्डों के पुर्नगठन व सब–डिविजन के मामलों का निस्तारण 10. भवन निर्माण की अनुमति जारी करना 11. रोड कटिंग आदि के लिए अनापत्ति पत्र जारी करना 12. सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में सुधार एवं सुझाव 13. सडकों, नालियों व गलियों की सफाई व्यवस्था। 14. सीवर व मैनहोलों की सफाई 15. आवारा पशुओं की व्यवस्था 16. जन उपयोगी सुविधाओं में सुधार के लिये उपाय 17. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना 18. सड़क मरम्मत कार्य 19. पार्कों की मरम्मत व रख–रखाव 20. विवाह स्थलों का पंजीयन 21. लीज व नगरीय विकास कर, लाईसेन्स शुल्क आदि की वसूली 22. डम्पिंग ग्राउण्ड की जगह चिन्हित कर जगह आवंटित करवाना 23. पार्किंग हेतु सार्वजनिक स्थान का चयन करना 24. थड़ी एवं ठेला चलाने वालों के लिए जगह चिन्हित करना 25. कब्रिस्तान, बैकुण्ठ आदि का शहरी जनसहभागिता योजना अन्तर्गत विकास 26. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रकरणों में प्रार्थना पत्र तैयार कर स्वीकृति हेतु कार्यवाही करना 27. EWS/LIG के आय प्रमाण पत्र जारी करना 28. निःशुल्क मेडिकल चैक–अप (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा) 29. निशक्तजन का सर्वे करने का कार्य।

# सात शहरों का सेनिटेशन सर्वे किया सी.एम.ए.आर. ने

शहरी विकास मंत्रालय की नेशनल अरबन सेनिटेशन पॉलिसी–2008 के तहत राजस्थान के समस्त 19 प्रथम श्रेणी के शहरों का सेनिटेशन सर्वे का कार्य अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी व अरबन मैनेजमेन्ट सेन्टर को दिया गया। इनमें से सात शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर व हनुमागढ़ के सेनिटेशन सर्वे का कार्य सी.एम.ए. आर. द्वारा सम्पादित किया गया। जिसमें नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जिला अस्पताल से सेनीटेशन से सम्बन्धित ऑकड़े एकत्रित किये गये साथ ही कच्ची बस्तीयों में साफ–सफाई के लिये वहॉ के निवासियों के साक्षात्कार लिये व शहर की फोटोग्राफी व पानी के नमूने भी एकत्रित किये गये। इन शहरों में किये जा रहें खुले में शौच व पेशाब से सम्बन्धित फोटोग्रॉफी व ऑकड़े एकत्रित किये गये। प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर प्रथम श्रेणी के समस्त शहरों की रेटिंग की जायेगी व उसके अनुसार भविष्य में सेनीटेशन की कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

## PHOTO FEATURES

JnNURM नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त जयपुर नगर निगम महापौर ज्योति खण्डेलवाल को CTAG के अध्यक्ष श्री हरिशंकर शर्मा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

श्री के.के. गेडियोक, प्रतिनिधी ए.डी.बी. द्वारा एसटीपी प्लान्ट, डेलावास, जयपुर का भ्रमण किया गया।

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2010 शिविर नगर निगम जोधपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2010 शिविर नगरपालिका बेगूं

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2010 शिविर नगरपरिषद अलवर

Editor- in Chief: **Jogaram**, Executive President
Team: **Rajendra Singhal**, Secretary
**C.P. Katariya**, Executive Member
**Dr. Sunil Kumar Pareek**, Coordinator
**Dharmpal Meena**, Computer Operator

**This newsletter is also available online at:**
**http://www.cmar-india.org/**

**Your suggestions and opinions about the newsletter are welcome, Write to :**
**Dr. Sunil Kumar Pareek, Coordinator**

City Managers' Association, Rajasthan

**H.O. :** 309, Jaipur Municipal Corporation, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan)

**Regd. Off. :** 404, Directorate of Local Bodies, G-3, Rajmahal Residency, Near Civil Lines Railway Crossing, Jaipur (Raj.)
Telefax : 0141-2742250, Cell : +91 9928057993
E-mail : coordinator@cmar-india.org.